

## उपायुक्त का न्यायालय, रामगढ़

विविध वाद संख्या- 62/2010  
टाटा स्टील लि० बनाम सुखदेव महतो

9

—: आदेश :-

27-12-13

प्रथम पक्ष का कहना है कि निम्नांकित भूमि पर प्रतिवादी सुखदेव महतो, पिता-चुनीलाल महतो अवैध रूप से दावा कर रहे हैं।

अंचल	मौजा	खाता सं०	खेसरा सं०	रकबा
माण्डू	बारूघुट्टु	48	383, 387	8.85 ए०

टाटा स्टील कम्पनी के द्वारा यह कहा गया है कि उपरोक्त खाता संख्या-48 की भूमि गैरमजरूआ प्रकृति की है, जो राज्य सरकार में निहित है। उन्हें उपरोक्त जमीन में खनन कार्य करने हेतु एम०एम०आर०डी० अधिनियम 27 (i) (d) के अन्तर्गत अनुमति मिली हुई है। यह अनुमति कुल 2054.70 एकड़ गैरमजरूआ भूमि के लिए है। अनुमति कम्पनी को पत्रांक 2399 दिनांक 31.08.1976 और 2010 दिनांक 22.07.1977 के द्वारा प्रदान की गई।

प्रतिवादी सुखदेव महतो यह दावा करते हैं कि उपरोक्त विवादित भूमि खाता नं०-48, खेसरा संख्या-383, 387 कुल रकबा-8.85 एकड़ भूमि बानो देवी को हुकुमनामा के जरिये प्राप्त हुई है। कम्पनी का यह भी कहना है कि हुकुमनामा की सम्पुष्टि जमींदार द्वारा दायर रिटर्न से नहीं होता है और न ही प्रतिवादी इसका कोई दस्तावेज दिखाते हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि हुकुमनामा जाली है।

अंचल अधिकारी, माण्डू ने अपने पत्रांक 37 दिनांक 08.01.2013 के द्वारा यह प्रतिवेदन भेजा है कि मौजा-बारूघुट्टु के खाता नं०-48, कुल रकबा-38.25 एकड़ भूमि सर्वे खतियान के अनुसार गैरमजरूआ खास खाता की जमीन है।

गैरमजरूआ भूमि के संबंध में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार के पत्रांक 914 दिनांक 09.12.1998 के द्वारा यह स्पष्ट निदेश निर्गत किया गया है कि जो जमाबंदी बिल्कुल अवैध और बिना आधार के है, उसे रद्द किया जा सकता है और संबंधित अंचल अधिकारी एवं कर्मचारी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। वर्तमान मामले में प्रतिवादी के पिता द्वारा हुकुमनामा द्वारा प्राप्त बताया गया है, परन्तु उसका कोई अनुपूरक साक्ष्य जैसे-जमींदारी रिटर्न, बुझारत पंजी की प्रति, जमींदारी रसीद वगैरह प्रस्तुत नहीं की गई है, जिससे स्पष्ट है कि हुकुमनामा द्वारा प्राप्त जमीन वैधानिक नहीं है।

भारतीय निबंधन अधिनियम, 1908 की धारा 17 में भी यह प्रावधान है कि जिस भूमि का मूल्य 100 रुपये से अधिक है, उसका हस्तान्तरण निबंधित पट्टा के माध्यम से होना अनिवार्य है, अन्यथा उसके बिना किये गये हस्तान्तरण अवैध माना जायेगा। वर्तमान

AR

e.g. 20  
19/12/13


मामले में हुकुमनामा निबंधित नहीं है, जिससे यह संकेत मिलता है कि वह भूमि हड़पने के उद्देश्य में बनाया गया है।

29/11/14


वाद में प्रस्तुत तथ्य, दस्तावेजों एवं प्रथम पक्ष के द्वारा लिखित बहस के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि खाता नं०-48, खेसरा संख्या-383, 387 कुल रकबा-8.85 एकड़ भूमि का सुखदेव महतो के नाम से अगर कोई जमाबंदी कायम है, तो वह जमाबंदी अवैध और गलत है।

आदेश की प्रति अपर समाहर्ता को भेजें और 15 दिनों के अन्दर अगर मौजा-बारुघुट्टा के खाता नं०-48, खेसरा संख्या-383, 387 कुल रकबा-8.85 एकड़ भूमि का सुखदेव महतो या बानो देवी के नाम से अगर कोई जमाबंदी कायम है तो जमाबंदी रद्द करने का अनुपालन प्रतिवेदन मांगे, उसके बाद इस अभिलेख की कार्यवाही बन्द होगी।

लेखापित एवं संशोधित।



उपायुक्त,  
रामगढ़।



उपायुक्त,  
रामगढ़।